



**बिजनौर पुलिस**

**Date:- 27-06-2022**



**PRESS  
NOTE**



**स्वाट/सर्विलांस व थाना नूरपुर पुलिस द्वारा पुलिस कार्यवाही में लूट की योजना बनाते हुए 04 अभियुक्तगण लूटे/चोरी गये लैपटॉप, थंब मशीन, 02 मोबाइल फोन, 35400/- रुपये नगद तथा घटना में प्रयुक्त अवैध शस्त्र व 03 मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार।**

डॉ० धर्मवीर सिंह, पुलिस अधीक्षक जनपद बिजनौर द्वारा जनपद में अपराध/अपराधियों की रोकथाम व लूट/चोरी की घटनाओं पर पूर्णतः अंकुश लगाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) व क्षेत्राधिकारी चांदपुर के निकट पर्यवेक्षण में दिनांक 26/27.06.2022 की रात्रि में स्वाट/सर्विलांस टीम व थाना नूरपुर पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर गौहावर नहर पुल के जंगल में लूट की योजना बना रहे अभियुक्तगण 1.मोहित उर्फ रेन्चो पुत्र संजय 2.गणेश दत्त शर्मा उर्फ जानू पुत्र दीपक शर्मा 3.जीशान उर्फ फैजान उर्फ टुल्ली पुत्र शौकीन नि०गण बिशनपुर धूधली थाना स्योहारा जनपद बिजनौर 4.कार्तिक उर्फ कशिश पुत्र रवि कुमार नि० खानपुर बिल्लौच थाना नूरपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया तो अभि०गण उपरोक्त द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस पार्टी द्वारा सूझबूझ से अभि०गण उपरोक्त की घेराबन्दी कर गिरफ्तार किया गया। अभि०गण के कब्जे से 02 अवैध तमचे 315 बोर मय 02 जिंदा व 02 खोखा कारतूस, 02 चाकू नाजायज, 03 मोटरसाइकिल (01 अपाचे व 02 स्पलेन्डर), 35,400 रुपये की नगदी, लैपटॉप, थम्ब मशीन, 02 मोबाइल फोन, रजिस्टर आदि बरामद किया गया। घटना के सम्बन्ध में थाना नूरपुर पर मु०अ०सं० 286/22 धारा 398/401/307/34 भादवि बनाम उपरोक्त पंजीकृत किया गया। अवैध शस्त्र बरामदगी के सम्बन्ध में थाना नूरपुर पर मु०अ०सं० 287/22 से मु०अ०सं० 290/22 तक शस्त्र अधिनियम की धाराओं में अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत किये गये।

**पूछताछ का विवरण:-** अभि०गण द्वारा पूछताछ में बताया कि उनके द्वारा अपने एक अन्य साथी विशाल उर्फ शानू (अभि० गणेशदत्त शर्मा का सगा भाई/फरार) के साथ मिलकर दिनांक 06.06.2022 को मोटरसाइकिल से जा रहे ग्राहक सेवा केन्द्र संचालक की एक लाख रुपये की नगदी, लैपटॉप, थंब मशीन आदि लूटे थे, बरामद 33,000 रुपये, लैपटॉप व थम्ब मशीन (फिंगर प्रिंट स्कैनर) उसी घटना के है, शेष रुपये खर्च हो गये। उक्त घटना के सम्बन्ध में थाना नूरपुर पर सरफराज निवासी पुरैनी दुर्वेशपुर, थाना नूरपुर द्वारा थाना नूरपुर पर मु०अ०सं० 245/22 धारा 392 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत कराया था।

इसके अतिरिक्त उन्होने दिनांक 25.06.2022 को ग्राम गामडी पनियाला के निकट सडक किनारे खडी मोटरसाइकिल पर टंगे बैग से 02 मोबाइल फोन (VIVO 1812 व Realme C-11) व 4500 रुपये की नगदी चोरी की थी, बरामद 2400 रुपये तथा 02 मोबाइल फोन उसी घटना के है। उक्त घटना के सम्बन्ध में अनस निवासी गामडी पनियावाला, थाना नूरपुर द्वारा थाना नूरपुर पर मु०अ०सं० 282/22 धारा 379 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत कराया था।

**अभियुक्तगण शांतिर किस्म के चोर/लुटेरे है, इन्हे रिमाण्ड पर लेकर चोरी/लूट की अन्य घटनाओं के बारे में जानकारी की जायेगी। अभि०गण की हिस्ट्रीशीट खोली जायेगी तथा इनका गैंग पंजीकरण किया जायेगा। फरार अभि० विशाल उर्फ शानू (गिर० अभि० गणेशदत्त शर्मा का भाई) की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है।**


## अभियुक्तगण का नाम व पता:-

- 1.मोहित उर्फ रेन्चो (उम्र 20 वर्ष) पुत्र संजय नि0 बिशनपुर धूंधली थाना स्योहारा, बिजनौर
- 2.गणेश दत्त शर्मा उर्फ जानू (उम्र 19 वर्ष) पुत्र दीपक शर्मा नि0 बिशनपुर धूंधली थाना स्योहारा, बिजनौर
- 3.जीशान उर्फ फैजान उर्फ टुल्ली (उम्र 18 वर्ष) पुत्र शौकीन नि0 बिशनपुर धूंधली थाना स्योहारा, बिजनौर
- 4.कार्तिक उर्फ कशिश (उम्र 19 वर्ष) पुत्र रवि कुमार नि0 खानपुर बिल्लौच थाना नूरपुर जनपद बिजनौर



## बरामदगी का विवरण:-

लूट/चोरी के 35,400/- रुपये नगद, 01 लैपटॉप, 01 थंब मशीन, 02 मोबाइल फोन, लेनदेन रजिस्टर आदि घटना में प्रयुक्त 03 मोटरसाइकिल (02 स्पलैन्डर प्लस नं0 DL5SAX1141 व UP20L4697 व 01 अपाचे बिना नंबर), 02 अवैध तमंचे 315 बोर मय 02 जिंदा व 02 खोखा कारतूस, 02 चाकू नाजायज आदि





## अभियुक्तगण का अपराधिक इतिहास:-

### मोहित उर्फ रेन्चो पुत्र संजय नि0 बिशनपुर धूंधली थाना स्योहारा, बिजनौर

- 1.मु0अ0सं0 245/22 धारा 392/411 भादवि थाना नूरपुर, जनपद बिजनौर
- 2.मु0अ0सं0 282/22 धारा 379/411 भादवि थाना नूरपुर, जनपद बिजनौर
- 3.मु0अ0सं0 286/22 धारा 398/401/307/34 भादवि थाना नूरपुर जनपद बिजनौर
- 4.मु0अ0सं0 287/22 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 थाना नूरपुर जनपद बिजनौर

### गणेश दत्त शर्मा उर्फ जानू पुत्र दीपक शर्मा नि0 बिशनपुर धूंधली थाना स्योहारा, बिजनौर

- 1.मु0अ0सं0 245/22 धारा 392 /411भादवि थाना नूरपुर, जनपद बिजनौर
- 2.मु0अ0सं0 282/22 धारा 379/411 भादवि थाना नूरपुर, जनपद बिजनौर
- 3.मु0अ0सं0 286/22 धारा 398/401/307/34 भादवि थाना नूरपुर, जनपद बिजनौर
- 4.मु0अ0सं0 288/22 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 थाना नूरपुर, जनपद बिजनौर

### जीशान उर्फ फैजान उर्फ टुल्ली पुत्र शौकीन नि0 बिशनपुर धूंधली थाना स्योहारा जनपद बिजनौर

- 1.मु0अ0सं0 282/22 धारा 379/411 भादवि थाना नूरपुर, जनपद बिजनौर
- 2.मु0अ0सं0 286/22 धारा 398/401/307/34 भादवि थाना नूरपुर, जनपद बिजनौर
- 3.मु0अ0सं0 290/22 धारा 4/25 शस्त्र अधि0 थाना नूरपुर, जनपद बिजनौर

### कार्तिक उर्फ कशिश पुत्र रवि कुमार नि0 खानपुर बिल्लौच थाना नूरपुर जनपद बिजनौर

- 1.मु0अ0सं0 282/22 धारा 379/411भादवि थाना नूरपुर बिजनौर
- 2.मु0अ0सं0 286/22 धारा 398/401/307/34 भादवि थाना नूरपुर बिजनौर
- 3.मु0अ0सं0 289/22 धारा 4/25 शस्त्र अधि0 थाना नूरपुर बिजनौर

## स्वाट/सर्विलांस टीम:-

निरीक्षक श्री सतेन्द्र कुमार, निरीक्षक श्री मनोज परमार, उ0नि0 श्री जर्जर हुसैन, कां0 खालिद, कां0 मोनू, कां0 सुमित, कां0 रईस

## थाना नूरपुर पुलिस टीम:-

प्रभारी निरीक्षक श्री धीरज सिंह सोलंकी, उ0नि0 श्री साहब सिंह, उ0नि0 श्री दीपक कुमार, हे0कां0 अरविन्द कुमार, कां0 1244 अनुज वाना, कां0 आर्यन, कां0 आशीष कुमार, कां0 मुकेश मिश्रा, कां0 शिव कुमार, आरक्षी चालक पुष्पेन्द्र सिंह



## थाना बढापुर पुलिस द्वारा प्रेम प्रसंग में प्रेमिका की गला दबाकर हत्या करने वाले प्रेमी का सगा

### भाई/ घटना में संलिप्त अभियुक्त प्रवेन्द्र घटना में प्रयुक्त फावडे सहित गिरफ्तार।

दिनांक 12.06.2022 को हरपाल निवासी मौ0 नौमी कस्बा व थाना बढापुर जनपद बिजनौर द्वारा थाना बढापुर पर सूचना दी कि दिनांक 04.06.2022 को उसकी पुत्री ज्योति उम्र 19 वर्ष धामपुर आ0एस0एम स्कूल के लिये कह कर गयी थी जो वापस नहीं आयी। सूचना पर थाना बढापुर पर गुमशुदगी दर्ज की गयी।

गुमशुदा छात्रा की शीघ्र बरामदगी हेतु पुलिस अधीक्षक बिजनौर द्वारा थाना बढापुर पुलिस को निर्देशित किया गया। इसी क्रम में पुलिस द्वारा की गयी जांच में शेलेन्द्र प्रवीन पुत्र प्रताप सिंह नि0 जाफ्तानगर थाना रेहड (उम्र 21 वर्ष, जाति गडरिया) को हिरासत में लेकर की गयी पूछताछ में गुमशुदा ज्योति उपरोक्त का शव जंगल ग्राम अठरावली में नाले से बरामद हुआ। इस सम्बन्ध में तहरीर के आधार पर थाना बढापुर पर मु0अ0सं0 131/22 धारा 302/201 भादवि0 पंजीकृत किया गया। दिनांक 26.06.2022 को थाना बढापुर पुलिस द्वारा अभि0 शेलेन्द्र उर्फ प्रवीन पुत्र प्रताप सिंह नि0 ग्राम-जाब्तानगर उर्फ अठवारीवाला थाना रेहड जनपद बिजनौर को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।

आज दिनांक 27.06.2022 को थाना बढापुर पुलिस द्वारा विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान प्रकाश में आये/घटना में संलिप्त अभि0 प्रवेन्द्र पुत्र प्रताप सिंह निवासी ग्राम जाब्तानगर उर्फ अठवारीवाला थाना रेहड जनपद बिजनौर को बादीगढ चौराहे से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की नाशानदेही पर घटना में प्रयुक्त फावडा बरामद किया गया।

अभियुक्त प्रवेन्द्र द्वारा पूछताछ पर बताया कि उसका भाई ज्योति के परिवार से पूर्व से परिचित था तथा उसका ज्योति से अंतरंग प्रेम प्रसंग चल रहा था। दिनांक 04.06.2022 को प्रवीन अपनी मोटर साईकिल DL5SV4931 से ज्योति को बादल होटल जसपुर उत्तराखण्ड में लेकर गया था, वहां पर शादी करने को लेकर प्रवीन का ज्योति से विवाद हुआ, इसी दौरान प्रवीन द्वारा ज्योति की हत्या करने की योजना बनायी तथा ज्योति को बहाने से ग्राम अठवारीवाला के जंगल में ले आया, जहाँ पर उसके द्वारा प्रवीन व अफसार पुत्र तौहीद नि0 मौ0 बासीवाला कस्बा व थाना रेहड बिजनौर के साथ मिलकर ज्योति की गला दबाकर हत्या कर दी तथा शव जंगल में नाले के पास गड़ढा खोदकर दबा दिया।

### अभियुक्त का नाम व पता:-

प्रवेन्द्र पुत्र प्रताप सिंह नि0 जाफ्तानगर उर्फ अठवारीवाला थाना रेहड जनपद बिजनौर



### बरामदगी का विवरण:-

घटना में प्रयुक्त फावडा

### पुलिस टीम का विवरण:-

थानाध्यक्ष श्री अनुज कुमार तोमर, उ0नि0 श्री गजेन्द्र सिंह, हे0का0 चिन्टू कुमार, का0 शेलेन्द्र कुमार, कां0 अरविन्द



## थाना स्योहारा पुलिस द्वारा पकोडी के पैसे को लेकर हुए विवाद में किशोर को पेड से बाँधकर

### बाल काटने वाले 04 अभियुक्तगण गिरफ्तार ।

अवगत कराना है कि दिनांक 25.06.2022 को समय 11:00 बजे थाना स्योहारा क्षेत्रान्तर्गत थाना क्षेत्र निवासी एक किशोर जो ठेले पर पकोडी लेने गया था। पकोडी के पैसे के लेन देन को लेकर दोनो में विवाद हो गया । जिसमें प्रकाश उर्फ जगवा पुत्र सतीश, विक्की पुत्र सुनील, गुड्डू पुत्र रामस्वरूप, सौरभ पुत्र महिपाल निवासीगण मौहल्ला बसन्तगण कस्बा व थाना स्योहारा ने मिलकर शोभित उपरोक्त को पेड से बाँधकर सर के बाल काट दिए । इस सम्बन्ध में दिनांक 26.06.2022 को थाना स्योहारा पर मु0अ0सं0 307/22 धारा 290/342/355/34 भादवि बनाम विक्की, प्रकाश, गुड्डू, सौरभ उपरोक्त पंजीकृत किया गया ।

पुलिस अधीक्षक बिजनौर द्वारा उक्त घटना को संज्ञान में लेकर थाना प्रभारी स्योहारा को अभियुक्तगणों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया । जिसके क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी, धामपुर के कुशल पर्यवेक्षण में आज दिनांक 27.06.2022 को थाना स्योहारा पुलिस द्वारा 1- विक्की 2- प्रकाश 3-गुड्डू 4- सौरभ को गिरफ्तार किया गया।

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

- 1- विक्की (22 वर्ष) पुत्र सुनील कुमार निवासी मौ0 बसन्तगढ थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ।
- 2- प्रकाश उर्फ जगवा (26 वर्ष) पुत्र सतीश निवासी मौ0 बसन्तगढ थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ।
- 3- गुड्डू (55 वर्ष) पुत्र रामस्वरूप निवासी मौ0 बसन्तगढ थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ।
- 4- सौरभ (20 वर्ष) पुत्र महिपाल निवासी मौ0 बसन्तगढ थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ।



## थाना स्योहारा पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट में वाँछित अभियुक्त भूरे खां उर्फ भूरा गिरफ्तार ।

पुलिस अधीक्षक जनपद बिजनौर द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी धामपुर के कुशल पर्यवेक्षण में थाना धामपुर पुलिस द्वारा आज दिनांक 27.06.2022 को समय 10.00 बजे थाना स्योहारा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 300/22 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट के वाँछित अभियुक्त भूरे खां उर्फ भूरा पुत्र इरतुजा उर्फ मुस्तफा नि0मौ0 भजेडियो सराय कस्बा व थाना स्योहारा जनपद बिजनौर गिरफ्तार किया गया ।

### गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

भूरे खां उर्फ भूरा पुत्र इरतुजा उर्फ मुस्तफा नि0मौ0 भजेडियो सराय कस्बा व थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ।

### आपराधिक इतिहास भूरे खां उपरोक्त ।

- 1.मु0अ0सं0 204/22 धारा 147/148/149/307/332/353 भादवि व 3/5/8 गौवध अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0 थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ।
- 2.मु0अ0सं0 300/22 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ।

### गिरफ्तार करने वाले टीम का नाम

- 1.व0उ0नि0 श्री गंगाराम गंगवार
- 2.का0 117 सत्यवीर
- 3.का0 1706 ब्रजेश कुमार







**बिजनौर पुलिस**



**नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन**

**थाना हल्दौर:** मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन के लिये चलाए जा रहे अभियान मिशन शक्ति के अन्तर्गत थाने पर गठित पुलिस टीम द्वारा अपने थाना क्षेत्र में बालिकाओं/छात्राओं को मिशन शक्ति अभियान के सम्बन्ध में जागरूक किया गया तथा हेल्पलाईन नम्बर **102, 108, 112, 181, 1076, 1098, 1090** की जानकारी दी गई। इस दौरान सडकों पर तथा स्कूल/कॉलेजों के आसपास बेवजह घूम रहें मनचलों पर शिकंजा कसा गया।





**थाना नजीबाबाद:-** मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन के लिये चलाए जा रहे अभियान मिशन शक्ति के अन्तर्गत थाने पर गठित पुलिस टीम द्वारा अपने थाना क्षेत्र में बालिकाओं/छात्राओं को मिशन शक्ति अभियान के सम्बन्ध में जागरूक किया गया तथा हेल्पलाईन नम्बर **102, 108, 112, 181, 1076, 1098, 1090** की जानकारी दी गई। इस दौरान सडकों पर तथा स्कूल/कॉलेजों के आसपास बेवजह घूम रहें मनचलों पर शिकंजा कसा गया।





**थाना किरतपुर:-** मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन के लिये चलाए जा रहे अभियान मिशन शक्ति के अन्तर्गत थाने पर गठित पुलिस टीम द्वारा अपने थाना क्षेत्र में बालिकाओं/छात्राओं को मिशन शक्ति अभियान के सम्बन्ध में जागरूक किया गया तथा हेल्पलाईन नम्बर **102, 108, 112, 181, 1076, 1098, 1090** की जानकारी दी गई। इस दौरान सडकों पर तथा स्कूल/कॉलेजों के आसपास बेवजह घूम रहें मनचलों पर शिकंजा कसा गया।





**थाना कोतवाली देहात:-** मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन के लिये चलाए जा रहे अभियान मिशन शक्ति के अन्तर्गत थाने पर गठित पुलिस टीम द्वारा अपने थाना क्षेत्र में बालिकाओं/छात्राओं को मिशन शक्ति अभियान के सम्बन्ध में जागरूक किया गया तथा हेल्पलाईन नम्बर **102, 108, 112, 181, 1076, 1098, 1090** की जानकारी दी गई। इस दौरान सडकों पर तथा स्कूल/कॉलेजों के आसपास बेवजह घूम रहें मनचलों पर शिकंजा कसा गया।





**पुलिस अधीक्षक बिजनौर के निर्देशन में MissionShakti कार्यक्रम के अन्तर्गत BijnorPolice के समस्त थानों पर स्थापित महिला हेल्प डेस्क पर महिला फरियादियों की समस्या सुनते हुए महिला पुलिसकर्मी।**



